



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

चैत्र 01, मंगलवार, शाके 1943-मार्च 22, 2022
Chaitra 01, Tuesday, Saka 1943- March 22, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 31, 2021

जी.एस.आर.397.- यतः भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग) द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केंद्रीय अधिनियम सं. 29) की धारा 23 के अधीन जारी उसकी अधिसूचना सं. एस. ओ. 152 (ई) दिनांक 10-02-1988, द्वारा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित उक्त अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या प. 8(1) पर्या./99-पार्ट दिनांक 21.07.2010 में संशोधन का प्रारूप, इसके प्रकाशन की तारीख, जिसको उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवायी जायेंगी, से तीस दिन की कालावधि के भीतर उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों की सूचना के लिए और आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करते हुए, राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया था;

और यतः उक्त अधिसूचना की प्रतियां 20 सितम्बर, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं;

और यतः राज्य सरकार को उक्त अधिसूचना पर कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग) द्वारा, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केंद्रीय अधिनियम सं. 29) की धारा 23 के अधीन जारी उसकी अधिसूचना सं. एस. ओ. 152 (ई) दिनांक 10-02-1988, द्वारा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित उक्त अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिसूचना में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति “कोई व्यक्ति 1 अगस्त, 2010 से राजस्थान राज्य में, प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय या परिवहन नहीं करेगा।” के

स्थान पर अभिव्यक्ति “कोई व्यक्ति 1 अगस्त, 2010 से राजस्थान राज्य में, समय-समय पर यथा संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार और भारतीय मानक, आईएस 17088 2008 के अनुरूप जैव विघटनीय/कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से निर्मित कैरी बैग को छोड़कर, प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय या परिवहन नहीं करेगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.8(1)पर्या./99-पार्ट]
राज्यपाल के आदेश से,
श्रेया गुहा,
प्रमुख शासन सचिव

Government Central Press, Jaipur.